



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

--आदेश--

क्रमांक/२५-/बंधक श्रमिक/2012

रायगढ़ दिनांक 1/12/2012

बंधुवा मजदूरी प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अभित कटारिया, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ छ0ग0 उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधिन प्रावधानित कर्तव्यों के निष्पादन के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँ-

क्र0	पदाधिकारियों का नाम/पता	पद
1.	अपर कलेक्टर, रायगढ़	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़	सदस्य
3.	श्री रूपसिंह राठिया, ग्राम लात, तह0 धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़	सदस्य
4.	श्रीमती सुषमा खलखो, उर्दना बेरियर रायगढ़	सदस्य
5.	श्री महावीर चौहान, रेल्वे बंगला पारा, रायगढ़	सदस्य
6.	श्री भीमसेन दुबे, ग्राम तुरंगा तह0 पुसौर, जिला रायगढ़	सदस्य
7.	श्री महावीर अग्रवाल, गांधीगंज, रायगढ़	सदस्य
8.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़	सदस्य
9.	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़	सदस्य
10.	अग्रणी बैंक अधिकारी, केलो विहार, रायगढ़	सदस्य

पूर्व में गठित की गई जिला स्तरीय सतर्कता समिति एतद् द्वारा समाप्त की जाती है।

(अभित कटारिया)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
रायगढ़ (छ0ग0)

रायगढ़ दिनांक 20/12/2012

पृ0क्र0 २५-/बंधक श्रमिक/2012/1079-1108  
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रमायुक्त, छ0ग0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनंदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सहायक श्रमायुक्त, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
8. अनुविभागीय अधिकारी, सर्व जिला रायगढ़।
9. तहसीलदार, सर्व जिला रायगढ़ की ओर  
.....सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभित कटारिया)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
रायगढ़ (छ0ग0)